न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 60/2015

वादी :-

1. सुबान पुत्र श्री देवा
जाति-मेहरात, निवासी-दूंकड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पीरू पुत्र लादू
2. कोया पुत्री देवा
3. मीरा पुत्री देवा
4. बिदामी पुत्री देवा
जातियान-मेहरात,निवासी-दूंकड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
(लैण्ड होल्डर) एवं उप पंजीयन
अधिकारी, जैतारण
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिए
जिला कलेक्टर महोदय,पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.30.04.2015

उपस्थितः. 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 20/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-दूंकड़ा, तहसील-जैतारण में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 57 रकबा 4-14 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 58 रकबा 8-01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 67 रकबा 7-00 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 109 रकबा 12-06 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-4 कुल रकबा 32-01 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं, जिसे इस वाद पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित किया गया हैं। उक्त वर्णित भूमियाँ स्व. जुवारा की भूमियाँ थी तथा जुवारा को बोल-चाल की भाषा में भैरा भी कहा जाता रहा हैं, जिस तथ्य को प्रतिवादी संख्या 1 बखूबी जानता हैं। उक्त वर्णित भूमियों को रहन, बेचान अथवा किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण के विलेख के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 को ना तो उसके पिता द्वारा हस्तान्तरित की गई हैं, ना ही प्रतिवादी संख्या 1 को हिन्दू दत्तक अधिनियम के तहत् गोद की रस्म के तहत् हस्तान्तरित हुई हैं। उक्त वर्णित विवादित भूमियाँ सरल तरीके में वादी एवं प्रतिवादी की भूमियाँ ही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इस बाबत् वादी एवं प्रतिवादी के परिवार का सजरा समझा जाना आवश्यक हैं। वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष जुवारा (फौत) के वारिसान लादू (अविवाहित फौत) तथा देवा (फौत) हुए देवा के वारिसान पीरू व सुबान पुत्रान तथा कोया, गीरा व बिदामी पुत्रियाँ हुई। लादू पुत्र जुवारा के अविवाहित फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जुवारां की तमाम चल अचल सम्पति के विरासती हैसियत में उक्त वर्णित सजरा वंशावली अनुसार देवा की प्रत्येक संतानें उत्तराधिकारी हैसियत में स्व. जुवारा की चल अचल सम्पति पर उत्तराधिकार एवं विरासत का अधिकार प्राप्त करने के हकदार हैं। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 एवं देवा की अन्य पुत्रियाँ गीरा कोया बिदामी की रजामंदी होने के कारण ही तथा अपने हक का परित्याग देवा की पुत्रियों के द्वारा मौखिक किये जाने के कारण ही पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। बावजूद इसके प्रतिवादी संख्या 1 के आवश्यक पक्षकार बाबत् उज्र ऐतराज तनाजा होने पर वादी तत्काल देवा के तमाम वारिसान में जुवारा की तमाम चल अचल सम्पति जो कि लादू के नाऔलाद फौत होने से देवा में निहित हैं, उसे प्रदत्त करने हेतु पक्षकार बनाने हेतु तैयार व तत्पर हैं। वादी का मौके पर निरन्तर एवं लगातार 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा जुवारा की भूमियाँ लादू व देवा में कतई मौके पर विभाजित भूमियाँ नहीं रही हैं। लादू ने अपने जीवनकाल में देवा के साथ एक ही मकान में रहते हुए तथा एक ही चूल्हा, चौकी रोटी पकाते हुए अपना जीवन व्यतीत किया हैं तथा लादू व देवा में किसी भी प्रकार का चल अचल सम्पति बाबत् विवाद नहीं हुआ हैं, ना ही बंटवाड़ा हुआ हैं। लादू पुत्र जुवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के साथ ही रहता रहा हैं, जिसकी जानकारी बखूबी प्रतिवादी संख्या 1 को हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता देवा के देहान्त के पश्चात् तमाम चल अचल सम्पतियों का मौके पर विभाजन 1/2 हिस्से के तौर पर होते हुए ही मौके पर 1/2 हिस्से पर वादी काबिज चला आ रहा हैं तथा 1/2 हिस्से पर ही आवासीय मकान एवं बाडे का उपयोग / उपभोग करता आ रहा हैं। वादी को कतई कभी भी राजस्व रेकर्ड को जानकारी में लेने बाबत् कार्य एवं कारण उत्पन्न हुआ ही नहीं हैं। किन्तु पिछले तीन माह से प्रतिवादी संख्या 1 वादी से कब्जा हटाने बाबत् बार-बार तंग परेशान कर रहा हैं। तब वादी ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली तो जुवारा के उत्तराधिकारी की हैसियत में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत कानून के तहत् दर्ज नजर आया। जबकि वादी ने विरासत के सम्बंध में उक्त पदों में विस्तृत वर्णन किया हैं, जिससे साबित हैं कि विरासत के तहत् उक्त वर्णित भूमियों बाबत् इन्द्राज प्रारम्भिक अवस्था से ही गलत व विधि विरूद्ध हैं, जो सरसरी तौर पर ही दुरूस्त किये जाने योग्य इन्द्राज हैं। उक्त वर्णित भूमियों के राजस्व रेकर्ड बाबत् वादी को जैसे ही जानकारी में आया वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को मुकदमें बाजी से दूर रहने की सलाह देते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कराने का प्रार्थना पत्र देने की नेक सलाह दी हैं। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को धमकी भरी सलाह में कहा कि ये रेकर्ड दुरूस्त तहसीलदार तो क्या कोई भी कोर्ट भी दुरूस्त नहीं कर सकती तू चाहे मुकदमें करके देख ले। उक्त भूमियों को ऐसे व्यक्तियों को मैं बेचान करूंगा जो तेरे को भूमि पर आने ही नहीं देंगे। यह तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05/03/2015 को कहे तब वादी ने हिन्दू संस्कारों के तहत होली के अवसर पर प्रतिवादी संख्या 1 को प्रणाम करते हुए आर्शीवाद लेने हेतु उपस्थित हुआ। देवा की

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

Scanned by CamScanner

मृत्यु पश्चात् जो बाहमी बंटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुआ। तत्पश्चात् वादी ने अपने हिस्से में आई भूमि को काबिल काश्त बनाने व भूमि की तरक्की करने तथा भूमि पर डोलपाल सेरापाली करने में अपनी कड़ी मेहनत के धन को खर्च किया है। जिसकी वर्तमान में कीमत चार लाख से कम नहीं हैं। क्योंकि भूमि को समय-समय पर काबिल काश्त करने में वादी ने अपनी मजदूरी के धन को थोड़ा-थोडा खर्च किया हैं। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 2 से 3 राजस्थान सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। किन्तु वाद की परिस्थितियाँ इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी हैं कि कानूनी अवधि इंतजार किये जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस कारण अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कानूनी अवधि से छूट ली गई हैं। उक्त कारणों से वादी के हक में प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित हैं। उक्त कारणों से वादी के हक में सुविधा का संतुलन बखूबी साबित हैं। उक्त कारणों से वादी के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना नितांत आवश्यक व न्यायोचित हैं। अन्यथा वादी को रूपयों में न आंके जाने वाली अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रस्तुत वाद का वाद कारण अंतिम बार दिनांक 05/03/2015 को उत्पन्न होकर लगातार एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रखा हैं। प्रस्तुत वाद का वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार वकील वादी ने माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश कर क्रमशः कोया, मीरा व बिदामी को उक्त वाद में पक्षकारान् बनाये जाने तथा चूँकि वकील मय प्रति0 द्वारा अभी तक कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे धारा 53 की ईश्तदुआ वापस लिये जाने का आग्रह भी किया गया हैं। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गई। हस्ब ईश्तदुआ प्रार्थना पत्र 06 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार किया गया तथा कोया मीरा व बिदामी को प्रति0 पक्षकार बनाया गया तथा धारा 53 की ईश्तदुआ वाद पत्र से हटाया जाता हैं। संशोधित टाईटल पेश किया, सा0मि0 किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूँकड़ा पर दिनांक 20/06/2015 को पेश हुई। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 सुबान तथा डी0डब्ल्यू0-1 पीरू का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किए, सा0मि0 हो। वादी एवं प्रति0 संख्या 1 ने आज एक तहरीरी राजीनामा पेश किया कि लादू पुत्र जवारा की भूमि खसरा नम्बर 57, 58, 67 व 109 रकबा 31-01 बीघा हैं।, जो अकेला प्रतिवादी संख्या 1 बड़ा होने से उनके ही नाम ही दर्ज हो गई। जबकि लादू पुत्र जवारा लाऔलाद फौत हुआ हैं तथा लादू के सगे भाई देवा के पुत्रान हम पक्षकारान् सगे भाई हैं तथा वाद में अंकित सजरा वंशावली अनुसार तीन बहने क्रमशः कोया मीरा व बिदामी भी हैं। वादी सुबान व कोया मीरा व बिदामी को प्रतिवादीगण संख्या 1 पीरू पुत्र लादू के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इस हेतु हम दोनों पक्षकारान् सहमत हैं। जिससे माफिक राजीनामा डिक्री पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण पक्षकार को सुना गया। वस्तुतः मिसल बन्दोबस्त सहायक ऑफिस कानूनगों, तहसील कार्यालय जैतारण की रिपोर्टानुसार मौजा-टूंकड़ा की खसरा नम्बर 57, 58, 67 व 109 कुल किता-4 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

32-01 बीघा किस्म बा0अ0 व बा0दो0 की भूमि लादू पुत्र जवारा के नाम दर्ज हैं। किन्तु सजरा वंशावली अनुसार जवारा के दो पुत्र लादू तथा देवा हुए। देवा के वादीगण संख्या 1 सुबान, प्रतिवादी संख्या 1 पीरू पुत्रान कोया मीरा बिदामी पुत्रियाँ हुए हैं। चूंकि घर में सबसे बड़े होने से लादू पुत्र जुवारा के नाम से मिसल बन्दोबस्त में अंकन हुआ। लादू पुत्र जवारा अविवाहित रहे तथा फौत हो जाने से पुत्रान प्रति0 संख्या 1 पीरू पुत्र देवा के साथ वादी स्वयं तथा 2 से 4 पुत्रियाँ भी बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी होने से वाद अन्तर्गत 88 डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। धारा 53 आर0टी0एक्ट की ईश्तदुआ हस्ब प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना भी उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 57 रकबा 4-14 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 58 रकबा 8-01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 67 रकबा 7-00 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 109 रकबा 12-06 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-4 कुल रकबा 32-01 बीघाभूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 पीरू के पिता का नाम भी वास्तविक रूप से पीरू पुत्र देवा हैं न कि लादू हैं वास्तविक रूप से सजरा वंशावली अनुसार लादू तो अविवाहित ही फौत हुए एवं उनके कोई जायन्दा पुत्र होने का प्रश्न नहीं पैदा होता हैं। जिससे खातेदार पीरू के पिता के गलत दर्ज नाम लादू के स्थान पर देवा जरिए शुद्धि-पत्र दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त विवादित आराजी की पैतृक व पुश्तैनी भूमि में वादी सुबान एवं प्रतिवादीगण सं0 2 से 4 क्रमशः कोया मीरा व बिदामी को प्रति0 संख्या 1 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 20/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-टूंकड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुंकामः- जैतारण

दर्ईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. सुबान पुत्र श्री देवा
जाति-मेहरात, निवासी-टूंकड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. पीरू पुत्र लादू
2. कोया पुत्री देवा
3. मीरा पुत्री देवा
4. बिदामी पुत्री देवा
जातियान-मेहरात,निवासी-टूंकड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
(लैण्ड होल्डर) एवं उप पंजीयन
अधिकारी, जैतारण
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिए
जिला कलेक्टर महोदय,पाली

मु0न0 :रा0वा0स0:60/2015

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 57 रकबा 4-14 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 58 रकबा 8-01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 67 रकबा 7-00 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 109 रकबा 12-06 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-4 कुल रकबा 32-01 बीघाभूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 पीरू के पिता का नाम भी वास्तविक रूप से पीरू पुत्र देवा हैं न कि लादू हैं वास्तविक रूप से सजरा वंशावली अनुसार लादू तो अविवाहित ही फौत हुए एवं उनके कोई जायन्दा पुत्र होने का प्रश्न नहीं पैदा होता हैं। जिससे खातेदार पीरू के पिता के गलत दर्ज नाम लादू के स्थान पर देवा जरिए शुद्धि-पत्र दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त विवादित आराजी की पैतृक व पुश्तैनी भूमि में वादी सुबान एवं प्रतिवादीगण सं0 2 से 4 क्रमशः कोया मीरा व बिदामी को प्रति0 संख्या 1 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	3=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुतफरिक	
मिजानः–	9=00	मिजानः–	—Nil—

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner